



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ., जवासिया, उज्जैन- 456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN – 456006 (M.P.)

पत्र क्रमांक.5-38B/2018 शै)मसारावेविप्र/ 1206
सेवा में,

दिनांक 16/08/2019

अध्यक्ष,
श्री महादेव शिशु गुंजन वेद संस्थान
चित्तौड़गढ़ रोड, बेगू, जिला- चित्तौड़गढ़
राजस्थान

रसीद पोस्ट


विषय- छात्रों के हित रक्षा तथा अध्ययन प्रवेश के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रतिष्ठान सचिव द्वारा बनायी गयी समिति के माध्यम से आपके विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 25/5/2019 को किया गया था। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार आपको तत्सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या 5-35/2018 शै. मसारावेविप्र./444, दिनांक 10/6/2019, 17/06/2019, 08/08/2019 तथा 16/08/2019 को निर्देश दिये गये। आपके ओर से उन निर्देशों का अभी तक पालन न होने के कारण, साथ ही आपके द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि कई वित्तपोषित छात्र विद्यालय में वापस नहीं आए समिति निरीक्षण के समय आपने कुछ अध्यापकों पर चार्ज लगाए हैं इससे सम्बन्धित प्रपत्र भी आपके पास उपलब्ध हैं ऐसा आपका कथन था। समिति ने इस प्रकरण पर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए थे, जिसका परिपालन आपके द्वारा न करने पर आपके ही विद्यालय में वित्तपोषित कई छात्रों के अभिभावकों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र साथ ही शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अनवरत अध्ययनार्थ एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए वित्तपोषित छात्रों को श्री मुनिकुल बहमचर्य आश्रम बरुन्दनी अथवा प्रतिष्ठान से सम्बद्ध अन्य अनुदानित इकाइयों अथवा विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं।

यह निर्णय भविष्य में किसी भी अनुदानित इकाई अथवा वेद विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए मिसाल अथवा उदाहरण नहीं होगा।

AC Pmisen
19/8/2019
जारी किया/ISSUED

भवदीय

16/8/19
(डॉ. अनूप कुमार मिश्र)
अनुभाग अधिकारी (प्र.)